

प्रेस नोट दिनांक- 19.08.2025

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

◆ थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा 90 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब एक तस्कर गिरफ्तार किया गया।

◆ अनुमानित कीमत लगभग 1,14,000/- रुपये।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में शराब/मादक तस्करी व गौ तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन में प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना सैयदराजा पर नियुक्त 30नि0 अवधेश नारायण सरोज मय हमराहियान द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 18.08.2025 को समय करीब 14.10 बजे एनएच 02 हाइवे पर स्थित ग्राम जेठमलपुर, जेठमलपुर तिराहे के पास NH2 हाईवे उत्तरी लेन ओवरब्रीज के पास से चेकिंग के दौरान एक अदद सफेद टाटा जेस्ट कार नम्बर UP 65 CR 3115 से अवैध अंग्रेजी शराब रायल स्टेज 4 पेटी व 72 अदद खुली शीशी कुल 120 बोतल प्रति बोतल 750 एमएल कुल मात्रा 90 लीटर की बरामदगी करते हुए मौके से एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,14,000/- रुपये है। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना सैयदराजा पर मु.अ.सं. 238/2025 धारा 60/63 30प्र0 उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

मोदित किशोर रावत पुत्र दिनेश कुमार रावत निवासी सहबाज पुर थाना कोतवाली जिला बदायूँ 30प्र0

विवरण बरामदगी-

1. अंग्रेजी शराब रायल स्टेज 4 पेटी व 72 अदद खुली शीशी कुल 120 बोतल प्रति बोतल 750 एमएल कुल मात्रा 90 लीटर
2. एक अदद कार जेस्ट नम्बर UP 65 CR 3115

गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक - विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

उ.प. निरीक्षक अवधेश नारायण सरोज थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

हे.का. संजय सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

हे.का. जयशंकर सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

का0 अंशुमान तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

का. अनन्त राय थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

थाना सैयदराजा-जनपद चन्दौली

-----जनपद चन्दौली के थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा 02 वाहन से कुल 02 राशि गोवंश की बरामदगी करते हुए 03 शातिर गो तस्कर को गिरफ्तार किया गया।

चन्दौली- आदित्य लांहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में अनंत चन्द्रशेखर(आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर व देवेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.08.2025 को उ0नि0 अवधेश नारायण द्वारा थाना सैयदराजा पुलिस के साथ चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एनएच 02 हाइवे पर स्थित ग्राम जेठमलपुर, NH-2 हाइवे का उत्तरी लेन जेठमलपुर के पास से 02 वाहन संख्या UP62BT2215 व UP65QT2404 से कुल 02 राशि गोवंश गाय बरामद किया गया तथा मौके से 03 गोतस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 239/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि. का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. विशाल यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी ग्राम मझौली थाना बक्सा जिला जौनपुर
2. अंकित यादव पुत्र राजेश यादव निवासी ग्राम बेलछा थाना बक्सा जिला जौनपुर
3. राहुल पासवान पुत्र स्व0 लक्ष्मण पासवान निवासी झरना थाना मुगलसराय जिला चन्दौली

बरादगी का स्थान व समय-

एनएच 02 हाइवे पर स्थित ग्राम जेठमलपुर, NH-2 हाइवे का उत्तरी लेन जेठमलपुर दिनांक 18.08.2025 समय 07.10 बजे

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 वाहन संख्या UP62BT2215 व UP65QT2404
2. 02 राशि गोवंश गाय

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय- थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 अवधेश नारायण थाना सैयदराजा चन्दौली।
3. हे0कां0 संजय सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली
4. हे0का0 जयप्रकाश सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली
5. का0 अंशुमान तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली

◆ कोतवाली चन्दौली पुलिस द्वारा 01 ट्रक से 10 राशि गोवंश की बरामदगी करते हुए 01 शातिर तस्कर को किया गया गिरफ्तार।

◆ एक स्कार्पियों में से 02 वाहन पास कराने वाले अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली गोतस्करी के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर व देवेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में संजय कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक चन्दौली के नेतृत्व में दिनांक-19.08.2025 को कोतवाली चन्दौली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मझवार रेलवे स्टेशन के आगे हाइवे पर चेकिंग के दौरान 01 ट्रक से 10 गोवंश की बरामदगी करते हुए 01 गोतस्कर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही गोवंश से लदे ट्रक को पास कराने के लिए ट्रक के आगे-आगे चल रही स्कोर्पियों वाहन को कब्जे में लिया गया स्कोर्पियों वाहन से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार किये अभियुक्तों की पहचान-

1. उमेश कुमार सिंह s/o स्व0 बीरेन्द्र सिंह नि0 कछवा रोड चौमुहानी PS मिर्जामुराद थाना वाराणसी उम्र 46 वर्ष।
2. सूरज गौड S/O बच्चे लाल गौड नि0 ग्राम सुईलरा PS कपसेटी जनपद वाराणसी उम्र 30 वर्ष।
3. पंकज यादव S/O सुरेन्द्र यादव नि0 ग्राम सकलपुर PS कपसेटी जनपद वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष के रूप में हुई।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यावाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि ट्रक(UP67T5603) में 10 राशि गोवंश है जिन्हें हम सभी लोग ने मिलकर बिहार बेचने के लिए ले जा रहे थे। गोवंशीय पशुओं को लदवाकर पुलिस से बचने के लिए ट्रक के आगे-2 लोकेशन के आधार पर ट्रक को बिहार बार्डर पहुंचाते हैं।

पंजीकृत मु0अ0सं0-

1.मु0अ0स0 222/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 109 बीएनएस थाना व जिला चन्दौली।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.उमेश कुमार सिंह s/o स्व0 बीरेन्द्र सिंह नि0 कछवा रोड चौमुहानी PS मिर्जामुराद थाना वाराणसी उम्र 46 वर्ष

2.सूरज गौड S/O बच्चे लाल गौड नि0 ग्राम सुईलरा PS कपसेठी जनपद वाराणसी उम्र 30 वर्ष

3.पंकज यादव S/O सुरेन्द्र यादव नि0 ग्राम सकलपुर PS कपसेठी जनपद वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी-

1.एक ट्रक वाहन सं0 UP67T5603

2.एक स्कार्पियो वाहन सं0 UP77R8176

3.10 राशि गोवंश

गिरफ्तारी टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 संजय कुमार सिंह प्र0नि0 चन्दौली ।

2.उ0नि0 देवेन्द्र बहादुर सिंह चौकी प्रभारी कस्बा थाना व जिला चन्दौली ।

3.उ0नि0 राजेन्द्र यादव थाना व जिला चन्दौली ।

4.उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्य थाना व जिला चन्दौली ।

5.हे0का0 धीरेन्द्र यादव थाना व जिला चन्दौली ।

6.हे0का0 विजय कुमार

7.का0 सत्यप्रकाश

8.का0 दिलीप कुमार।

थाना चकिया जनपद चन्दौली

◆ थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा पैदल ले जा रहे 05 राशि गोवंशो की बरामदगी करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली गोतस्करी के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन के क्रम में दिगम्बर कुशवाहा, अपर पुलिस अधीक्षक ऑप0 व रघुराज, क्षेत्राधिकारी चकिया के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह मय हमराह द्वारा दिनांक 19.08.2025 को समय 06.25 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर बैना पहाड़ी के पास से ग्राम अर्जीखुर्द से पैदल हाँक कर ले जा रहे 05 राशि गोवंशो की बरामदगी करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान 1.नरसिंह चौहान पुत्र राधेश्याम चौहान निवासी मोहम्मदाबाद थाना चकिया जनपद चन्दौली, 2.अंकित पाण्डेय पुत्र बबलू पाण्डेय निवासी वार्ड नं. 4 कबीरनगर थाना चकिया ज नपद चन्दौली व 3.निखिल जायसवाल पुत्र मुकेश जायसवाल निवासी मुहम्मदाबाद थाना चकिया जनपद चन्दौली के रूप में हुई।

गिरफ्तार/बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 152/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि. अधि. व 11 पशुकूरता नि. अधि. का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग गोवंशो को लतीफशाह से कौडिहार, बेलावर पहाड़ी के किनारे किनारे से पैदल-2 घुरहूपुर जंगल के रास्तो से भरारी बिहार हाँकते हुए लेकर जा रहे थे। जहाँ पर गोवंशो को बड़ी गाडी में लादकर पश्चिम बंगाल पंडुआ वध के लिए भेजा जाता है। और इससे जो भी पैसा मिलता है उसको आपस में बराबर-2 बांट लेते हैं।

अभियुक्त का विवरण व गिरफ्तारी का स्थान-

1. नरसिंह चौहान पुत्र राधेश्याम चौहान निवासी मोहम्मदाबाद थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. अंकित पाण्डेय पुत्र बबलू पाण्डेय निवासी वार्ड नं. 4 कबीरनगर थाना चकिया ज नपद चन्दौली
3. निखिल जायसवाल पुत्र मुकेश जायसवाल निवासी मुहम्मदाबाद थाना चकिया जनपद चन्दौली

अभियुक्त नरसिंह चौहान का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 152/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुकूरता नि.अधि. थाना चकिया जनपद चन्दौली

2. मु.अ.सं. 86/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुकूरता नि.अधि. थाना चकिया जनपद चन्दौली
3. मु0अ0सं0 155/2010 धारा 110 सीआरपीसी थाना चकिया जनपद चन्दौली
4. मु0अ0सं0 100/2010 धारा 110 सीआरपीसी थाना चकिया जनपद चन्दौली
5. मु0अ0सं0 028/2010 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चकिया जनपद चन्दौली
6. मु0अ0सं0 04/2009 धारा 109/41 सीआरपीसी थाना चकिया जनपद चन्दौली

अभियुक्त अंकित पाण्डेय का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 152/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुकूरता नि.अधि. थाना चकिया जनपद चन्दौली

अभियुक्त निखिल जायसवाल का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 152/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुकूरता नि.अधि. थाना चकिया जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

1. 05 राशि गोवंश
2. एक एण्ड्रायड मोबाइल सैमसंग कम्पनी बरंग हल्का आसमानी
3. एक एण्ड्रायड मोबाइल सैमसंग कम्पनी बरंग काला

गिरफ्तारी/बरामदगी टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली।
2. उ0नि0 सुनील कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
3. हे0का0 राकेश सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
4. का0 रविन्द्र कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
5. का0 रिजवान अली थाना चकिया जनपद चन्दौली।

जनपद चन्दौली

◆ जिलाधिकारी चन्दौली, श्री चन्द्र मोहन गर्ग व पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु 03 आदतन, पेशेवर व मनबढ़ अपराधी के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही।

चन्दौली:- जिलाधिकारी चन्दौली, श्री चन्द्र मोहन गर्ग व पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण के लिये चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में विभिन्न अपराधिक क्रियाओं में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लगाये जाने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 03 आदतन अपराधी के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी हैं। तथा तीनों अपराधियों को 06 माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित किया गया हैं। अगर इसके बाद भी कोई जनपद चंदौली की सीमा में भटकता या सक्रिय दिखा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन पुलिस द्वारा किया जायेगा। जिला बदर अभियुक्त पर पुलिस अपनी पैनी नजरें बनाए हुए है।

जिला बदर अभियुक्त का नाम व पता-

1. रविकान्त यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी ग्राम- कोरी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं० 404/2016 धारा 307,412 भा०द०वि० थाना लंका वाराणसी।
- 2- मु०अ०सं० 565/2016 धारा 395,397 भा०द०वि० थाना खोराबाजार गोरखपुर।
- 3- बीट सूचना संख्या 46 दिनांक 10.05.2024 थाना अलीनगर।

जिला बदर अभियुक्त का नाम व पता-

2. संदीप यादव उर्फ कट्टा पुत्र चन्द्रदेव यादव निवासी ग्राम- बसारिकपुर थाना व जनपद चन्दौली।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं० 320/2021 धारा 323,504,506 भा०द०वि० थाना चन्दौली।
- 2- मु०अ०सं० 299/2023 धारा 379,411,414,401 भा०द०वि० थाना चन्दौली।

3-मु०अ०सं० 300/2023 धारा 379,411,414,401 भा०द०वि० थाना चन्दौली।

4-एनसीआर 124/2022 धारा 323,504 भा०द०वि० थाना चन्दौली।

5-एनसीआर 125/2022 धारा 323 भा०द०वि० थाना चन्दौली।

6- नील/2024 बीट संख्या 37 दिनांक 21.01.2024 थाना चन्दौली।

जिला बदर अभियुक्त का नाम व पता-

3. अभिषेक यादव उर्फ बाबा पुत्र प्रकाश यादव निवासी ग्राम बसारिकपुर थाना व जनपद चन्दौली।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु०अ०सं० 320/2021 धारा 323,504,506 भा०द०वि० थाना चन्दौली।

2-मु०अ०सं० 299/2023 धारा 379,411,414,401 भा०द०वि० थाना चन्दौली।

3 मु०अ०सं० 300/2023 धारा 379,411,414,401 भा०द०वि० थाना चन्दौली।

4-एनसीआर 124/2022 धारा 323,504 भा० भा०द०वि० थाना चन्दौली।

5--एनसीआर 125/2022 धारा 323 भा०द०वि० थाना चन्दौली।

6-एनसीआर 150/2023 धारा 323,504 भा०द०वि० थाना चन्दौली।

7-नील/2024 बीट संख्या 37 दिनांक 21.01.2024 थाना चन्दौली।